कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलुम्बर

प्रार्थी श्री मोगा
कस्म मुकदमा धारा–111, 128 भू–राजस्व अधिनियम

विपक्षी श्री वेणीराम व अन्य
प्रकरण संख्या 58/2023

	कार्यवाही विवरण	
13–05–2024	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। प्रार्थीगण की पत्रावली मे एक पक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपना प्रार्थना पत्र दोहराते हुए कथन किया है कि मौजा मातासुला पटवार हल्का मातासुला भू.अ.नि. कल्याणा काला मे प्रार्थीगण के हिस्से की कृषि भूमि खाता सख्या 251 आराजी नम्बर 60 रकबा 0.03 हैक्टयर व खाता सख्या 244 आराजी नम्बर 54/1 रकबा 0.16 हैक्टयर, 61/1 रकबा 0.07 हैक्टयर, 62/1 रकबा 0.06 हैक्टयर, 63 रकबा 0.05 हैक्टयर, 72 रकबा 0.08 हैक्टयर, 74 रकबा 0.07 हैक्टयर, 75 रकबा 0.05 हैक्टयर, 76 रकबा 0.09 हैक्टयर, कुल किता 08 रकबा 0.63 हैक्टयर व सख्या 245 आराजी नम्बर 71 रकबा 0.13 हैक्टयर व खाता सख्या 79 आराजी नम्बर 56 रकबा 0.10 हैक्टयर, 57 रकबा 0.07 हैक्टयर, 58 रकबा 0.10 हैक्टयर, 61 रकबा 0.07 हैक्टयर, 62 रकबा 0.06 हैक्टयर, 64 रकबा 0.08 हैक्टयर कुल किता 06 रकबा 0.48 हैक्टयर व खाता सख्या 80 आराजी नम्बर 77 रकबा 0.44 हैक्टयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त जमीन जिसका वर्णन किया गया जो कि मौजा मातासुला मे है जहा पर अभी हाल में कोई फसल को नहीं कर रखा हे तथा मौके पर खाली खेत पडे हे जिस कारण उक्त खेतो का माप पत्थर गढी करके कराना चाहते है। मौके पर विवाद बना हुआ है क्योंकि विपक्षी मोके पर कब्जा को नही छोडना चाहता है। जिस जमीन के बाबत राजस्व वाद या विभाजन का पेन्डिग नहीं है। हम प्रार्थीगण उक्त जमीन की पत्थरगढी करवाने के बाबत नियत शुल्क राजकीय जमा कराने को तैयार है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त नियत शुल्क जमा कराने का आदेश प्रदान करके पत्थरगढी करने का आदेश प्रदान करावे। प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश मीणा ने वकालतनामा पेश किया तथा जिन्हे न्यायालय द्वारा जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नही किया तथा आदेशिका दिनांक 01.05.2024 बावजुद सूचना के गैर हाजिर रहने से विपक्षीगण के खिलाफ को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। तदपश्चात अधिवक्ता प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस को सुना, बहस मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात/रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। मौजा मातासुला पटवार हल्का मातासुला भू.अ.नि. कल्याणा काला प्रार्थनापत्र मे वर्णित आराजीयात की भूमि की राजस्व जमाबंदी मे प्रार्थीगण का नाम दर्ज होना प्रकट आया है। प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजीयात की पत्थरगढी करवाये जाने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।	
सहायक कलक्टर सलूम्बर जिला सलूम्बर		

—:आदेशः—

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा मातासुला पटवार हल्का मातासुला भू.अ.नि. कल्याणा काला मे स्थित प्रार्थीगण के आराजीयात की कृषि भूमि खाता सख्या 251 आराजी नम्बर 60 रकबा 0.03 हैक्टयर व खाता सख्या 244 आराजी नम्बर 54/1 रकबा 0.16 हैक्टयर, 61/1 रकबा 0.07 हैक्टयर, 62/1 रकबा 0.06 हैक्टयर, 63 रकबा 0.05 हैक्टयर, 72 रकबा 0.08 हैक्टयर, 74 रकबा 0.07 हैक्टयर, 75 रकबा 0.05 हैक्टयर, 76 रकबा 0.09 हैक्टयर, कुल किता 08 रकबा 0.63 हैक्टयर व सख्या 245 आराजी नम्बर 71 रकबा 0.13 हैक्टयर व खाता सख्या 79 आराजी नम्बर 56 रकबा 0.10 हैक्टयर, 57 रकबा 0.07 हैक्टयर, 58 रकबा 0.10 हैक्टयर, 61 रकबा 0.07 हैक्टयर, 62 रकबा 0. 06 हैक्टयर, 64 रकबा 0.08 हैक्टयर कुल किता 06 रकबा 0.48 हैक्टयर व खाता सख्या 80 आराजी नम्बर 77 रकबा 0.44 हैक्टयर कृषि भूमि की राजस्व रेकार्ड अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

प्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि मौके पर पत्थरगढी किये जाने हेतु लगभग ढाई फिट के कुल 34 पत्थर मय मजदूर खड्डा करने एवं रोपने के लिये तहसीलदार को उपलब्ध करवाएं। साथ ही भूअभिलेख निरीक्षक/पटवारी हल्का को पाबंद किया जाता है कि प्रार्थीगण से पत्थरगढी शुल्क तहसीलदार, भू.अ.नि. व पटवारी का एक दिन का वेतन मय वाहन खर्च राजकोष में जमा हो ताकी बाद मे नियमानुसार भूकतान किया जा सके। तथा पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किये जाकर मौके पर मौतबीरान की उपस्थिति में प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढी करे। इस आशय की तहरीर दो प्रतियों में तहसीलदार सलुम्बर के नाम जारी की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर करे।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2024 को सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर सलूम्बर, सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.)

(पर्वत सिंह चूण्डावत RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सलुम्बर

सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर